

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफा-304/17 श्र.सं.-110
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मोणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, रोहतास/अररिया/गया/दरभंगा/
कटिहार/वैशाली/ बेगूसराय/सीवान/जहानाबाद ।

पटना, दिनांक:- 7-2-18

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-2842 दिनांक 17.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र. सं.	37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3			6
1	0103.37.01 अनुग्रह अनुदान	रोहतास	03	15000	श्रम अधीक्षक, रोहतास के पत्रांक-44 दिनांक-18.01.18 के आलोक में ।
2	तदेव	अररिया	08	40000	श्रम अधीक्षक, अररिया के पत्रांक-23 दिनांक-18.01.18 के आलोक में ।
3	तदेव	गया	18	90000	उप श्रमायुक्त, गया के पत्रांक-1964 दिनांक-15.12.17 के आलोक में ।
4	तदेव	दरभंगा	02	10000	श्रम अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक-55 दिनांक-13.01.18 के आलोक में ।
5	तदेव	कटिहार	14	70000	श्रम अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक-68 दिनांक-17.01.18 के आलोक में ।
6	तदेव	वैशाली	14	70000	श्रम अधीक्षक, वैशाली के पत्रांक-54 दिनांक-09.01.18 के आलोक में ।
7	तदेव	बेगूसराय	05	25000	श्रम अधीक्षक, बेगूसराय के पत्रांक-86 दिनांक-24.01.18 के आलोक में ।
8	तदेव	सीवान	02	10000	श्रम अधीक्षक, सीवान के पत्रांक-14 दिनांक-08.01.18 के आलोक में ।
9	तदेव	जहानाबाद	04	20000	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद के पत्रांक-22 दिनांक-27.01.18 के आलोक में ।
	कुल योग		70	350000	

कुल आवंटित राशि ₹ 3,50,000/- (₹ तीन लाख पचास हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वि0 आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार किया जाय। आवंटित राशि से उन्ही विमुक्त बाल श्रमिक को लाभांवित किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरान्त अविलंब उपलब्ध करा दी जाय।
6. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

(गोपाल मोणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोपाल मोणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त

/संबंधित जिला पदाधिकारी/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं. 37, 39, 46, 47, 48 एवं 51 (श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-23.01.18, 24.01.18, 30.01.18, 01.02.18, 02.02.18 एवं 06.02.18 के आलोक में/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा।

(गोपाल मोणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- आईटीएमैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(गोपाल मोणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

बाल श्रमिक की सूची-

वील १०-४१११७-१४

क्रम सं०	बाल श्रमिक का नाम व पता	वाउचर सं०	विमुक्ति की तिथि	कोटि	पुनरवास राशी	अनियुक्ति
01	ओसाफ आलम, पिता-जामिम, ग्राम रहिका-टोला, वार्ड-06 गैयारी,	48	27.04.17	समान्य	5000.00	
02	खुर्शीद अंसारी, पिता-सफिक अंसारी, ग्राम-आमगाछी, वार्ड- 06, पो० आमगाछी, थाना- मिकटी, अररिया	49	10.06.17	समान्य	5000.00	
03	मोएव आलम उर्फ मोएव अख्तर, पिता-जमील मियाँ वार्ड-02, पो० अगरथापा, पं० विषहरिया, थाना- भरगामा, अररिया	50	10.06.17	समान्य	5000.00	
04	हम्बुल आलम, पिता-मो० इब्राहीम, ग्राम-फरमाडांगी पो+थाना-पलामी, अररिया	51	05.08.17	समान्य	5000.00	
05	मिनहाज, पिता-अब्दुल उर्फ, ग्रा+पं० तारन, वार्ड-012, थाना- जोकिहट, अररिया	52	18.09.17	समान्य	5000.00	
06	वामिम, पिता-रियाज उद्दीन, ग्राम-कमैला, वार्ड-002, थाना- मदनपुर, प्र०+जिला-अररिया	53	18.09.17	समान्य	5000.00	
07	मो० इजाज, पिता-मलामत, ग्रा०+पो०+पं०+प्र० कुर्साकाटा, अररिया	54	25.11.17	समान्य	5000.00	
08	नसीम, पिता-गफ्फार उर्फ मंगला, ग्रा० रमैया, पो० खवासपुर प्र० फारविमगंज, अररिया	55	25.11.17	समान्य	5000.00	
कुल राशि- 40000.00(चालीस हजार रुपया मात्र)						

१५/०९/१८

श्रम अधीक्षक
अररिया।

१५.०९.१८